

# झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन)  
विधेयक, 2010

[सभा द्वारा यथापारित]



अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,  
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2010  
(सभा द्वारा यथापारित)

प्रस्तावना ।  
धाराएँ ।

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएँ ।
3. झारखण्ड अधिनियम, 16, 2008 की धारा-3, 4, 5, एवं 9 का प्रतिस्थापन एवं धारा-13 का समावेश ।

## झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2010 (सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम-16, 2008) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

- (i) यह विधेयक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

### 2. परिभाषाएँ :- जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस विधेयक में -

- (क) "कलेण्डर वर्ष" से अभिप्रेत है पहली जनवरी से इकतीस दिसम्बर तक की अवधि ।
- (ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 ।

### 3. झारखण्ड अधिनियम 16, 2008 की धारा-3 का प्रतिस्थापन :- अधिनियम की धारा-3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी यथा :-

#### आयोग का गठन

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जायेगा :-

- (क) अध्यक्ष - राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय सेवा/सेना के सुपर टाईम स्केल से अन्यून पंक्ति के कार्यरत् अथवा सेवानिवृत्त एक पदाधिकारी ।
- (ख) सदस्य - राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रूपये 37400-67000/- ग्रेड पे-8700 (अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप वेतनमान) से अन्यून वेतनमान् के कार्यरत् अथवा सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा/सेना के दो पदाधिकारी ।

### 4. झारखण्ड अधिनियम 16, 2008 की धारा-4(i) का प्रतिस्थापन :- अधिनियम की धारा-4(i) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी यथा :-

#### आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल -

- (i) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पदग्रहण की तारीख से सामान्यतः पाँच वर्ष की अवधि तक ।

### 5. झारखण्ड अधिनियम 16, 2008 की धारा-5 का प्रतिस्थापन :- अधिनियम की धारा-5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी यथा :-

सेवा/संवर्ग/पद, जिनकी नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा करेगी -

आयोग राज्य सरकार के अधीन वर्ग-'ग' के सभी पदों एवं वर्ग-'ख' के अराजपत्रित सभी सामान्य/प्रावैधिक/अप्रावैधिक सेवाओं/संवर्गों के पदों जिनपर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सीधी नियुक्ति का प्रावधान हो अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा।

6. झारखण्ड अधिनियम 16, 2008 की धारा-9 का प्रतिस्थापन :- अधिनियम की धारा-9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी यथा :-

शक्तियों का प्रत्यायोजन -

(i) प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के मामले में आयोग के अध्यक्ष राज्य सरकार में सचिव की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

7. इसके अतिरिक्त झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम-16, 2008) में एक अतिरिक्त धारा-13 का समावेश किया जायेगा।

धारा-13 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :-

यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में तथा इसके उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में कोई कठिनाइ उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसा आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं होगा तथा जो उत्पन्न होने वाली ऐसी कठिनाइयों के निवारणार्थ आवश्यक हो। इस राज्यादेश को राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित कराया जायेगा।

-----  
का लिखा गया कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का विवरण इसका उल्लंघन करने के बाहर रखा जाएगा।

1. शक्तियों का लिखा गया कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का विवरण इसका उल्लंघन करने के बाहर रखा जाएगा।  
उल्लंघन करने के बाहर रखा जाएगा।

का लिखा गया कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का विवरण इसका उल्लंघन करने के बाहर रखा जाएगा।  
उल्लंघन करने के बाहर रखा जाएगा।

का लिखा गया कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का विवरण इसका उल्लंघन करने के बाहर रखा जाएगा।  
उल्लंघन करने के बाहर रखा जाएगा।

का लिखा गया कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का विवरण इसका उल्लंघन करने के बाहर रखा जाएगा।  
उल्लंघन करने के बाहर रखा जाएगा।

यह विधेयक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2010 दिनांक 04 जनवरी, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 04 जनवरी, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

संशोधन विधेयक का उल्लङ्घन अनुमति

### (चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)

(अध्यक्ष) | 2010 जनवरी

दिनांक

(ii) दायक विधेयक सभ्य झारखण्ड चयन आयोग संघर्षने

(iii) दृष्टि दूर बोध द्वारा

परिमाणी - इसका किसी भौतिक विषय में व्यवहार नहीं है इस विधेयक में

(iv) "झारखण्ड चयन" के अधिकारी वाली विधेयक में व्यवहार विधेयक का अन्तिम अधिकारी

(v) "लोकसभा" के अधिकारी वाली विधेयक में व्यवहार विधेयक का अन्तिम अधिकारी

3. झारखण्ड विधिविधायिक 16, 2008 की वारा-३ चयन विधिविधायिक विधेयक की वारा-३ के उपर्याप्त परिवर्तन विधेयक द्वारा प्रतिशोधित की जाएगी यहाँ :

### अन्तिम अधिकारी

ज्ञारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का एक विधेयकिता को वित्ताकार विधा जाएगा ।

इस अधिकारी - ज्ञारखण्ड चयन विधेयक में व्यवहार विधेयक का एक विधेयक अधिकारी

(vi) विधेयक - इस विधेयक का विधेयक में व्यवहार विधेयक का अधिकारी विधेयक में व्यवहार विधेयक का एक विधेयक विधायक संघर्षने

4. झारखण्ड विधिविधायिक 16, 2008 की वारा-५(१) का विधिविधायिक - अधिग्रहण की वारा-५(१) के अधिकारी विधेयक द्वारा प्रतिशोधित की जाएगी यहाँ :

### अन्तिम अधिकारी विधेयक

(vii) अधिकारी को विधेयक द्वारा विधेयक द्वारा विधेयक विधेयक की वारा-५(१) का अधिकारी विधेयक

झारांमुराँची (एल०ए०) 17--50--15-1-2011 ।

विधेयक का उपर्याप्त परिवर्तन विधेयक द्वारा प्रतिशोधित की जाएगी यहाँ ।